Order sheet [Contd]

case No- B.A-160/2018

Signature of Parties or Order or proceeding with signature of Presiding Officer Pleaders where necessayry

04-05-18

आरोपी/आवेदक माताप्रसाद द्वारा श्री अबधबिहारी पाराशर अधिवक्ता।

अनावेदक शासन द्वारा श्री बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित । अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है । आरोपी/आवेदक माताप्रसाद के आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।

आरोपी/आवेदक माताप्रसाद के आवेदन अनुसार विशेष न्यायालय, भिण्ड में प्रकरण संचालित था, जिसमें आरोपी/आवेदक माताप्रसाद की जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के आदेशानुसार दि0—28/03/2009 को हुई थी। दि0—25/05/2009 को आवेदक अत्यधिक बीमार हो जाने से सूचना अपने अधिवक्ता को दी गयी। परंतु अधिवक्ता द्वारा दि0—25/05/2009 को हाजिरी माफी आवेदन पेश नहीं किया गया, जिससे आवेदक की जमानत जप्त हो गयी। आरोपी/आवेदक माताप्रसाद ने कई बार अपने अधिवक्ता से पूछा किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी।

आरोपी/आवेदक माताप्रसाद दि0—24/03/2018 को जिरये प्रोडक्शन वारण्ट उपस्थित हो गया, तब से वह निरंतर न्यायिक निरोध में है। उसके बीमारी के पर्चे काफी खोजने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। वह भविष्य में कभी गैर हाजिर नहीं होगा। आवेदक ग्राम माहों का स्थाई निवासी होकर कृषक है, उसके अधिक समय तक जेल में बंद रहने से उसके परिवार की स्थित दयनीय हो जायेगी। वह जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोडने का निवेदन किया। जमानत आवेदन के समर्थन में ज्ञानेश शर्मा पुत्र माताप्रसाद का शपथपत्र पेश किया है।

जबिक ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण बिल्कुल भी संतोषप्रद नहीं होना बताते हुए उसका जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने पर आपत्ति होना बताते हुए व्यक्त किया है कि यदि जमानत का लाभ लेकर दुबारा फरार हो जायेगा, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण का अवलोकन से प्रकट है कि माननीय उच्च न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण क0—901/2009 आदेश दिनांक—26/03/2009 के पालन में दिनांक—28/03/2009 को आरोपी/आवेदक माताप्रसाद जमानत पर रिहा किया गया था, इसके पश्चात दि0—28/05/2009 को अनुपस्थित हो जाने से उसके जमानत मुचलके निरस्त कर गिरफतारी वारण्ट से आहूत किया गया। आरोपी/आवेदक माताप्रसाद के लगातार अनुपस्थित रहने से दि0—06/05/2015 को फरार घोषित किया गया। दि0—24/03/2018 को प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में प्रस्तुत किया गया,

तत्पश्चात उसे न्यायिक निरोध में लिया गया।

आरोपी / आवेदक माताप्रसाद अनुपस्थित होकर फरार रहा है, जिससे प्रकरण की कार्यवाही विलंबित हुई है। प्रकरण में अन्य दो अभियुक्त भी फरार हैं।

प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है । आरोपी/आवेदक को माताप्रसाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की सुविधा प्रदान की है, वर्तमान में आरोपी/आवेदक माताप्रसाद न्यायिक अभिरक्षा में है।

फलतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में आरोपी/आवेदक का जामनत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आरोपी/आवेदक माताप्रसाद के पूर्व प्रस्तुत प्रतिभूतिपत्र में से पंद्रह हजार रूपये राजसात किए जाते हैं, शेष राशि माफ की जाती है एवं आरोपी/आवेदक माताप्रसाद की ओर से धारा—437 (3) जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित 40 हजार रूपये की नवीन सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि के व्यक्तिगत् बंध पत्र प्रस्तुत किये जावें तो उसे निम्न शर्तों पर जमानत रिहा किया जावे :—

- आवेदक विचारण न्यायालय में दी गई नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होता रहेगा।
- अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और न ही साक्षियों को कोई प्रलोभन उत्प्रेरणा या धमकी देगा।
- 3. फरार नहीं होगा।
- 4. विचारण में सहयोग करेगा। प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत 23 व 24 मई 2018 को प्रस्तुत हो।

(एच.के. कौशिक) विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

